कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।
प्रेस विज्ञप्ति
राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल) प्रशिक्षणार्थी भर्ती परीक्षा–2015

पत्रांक संख्या–723/सात–भूलेख/रा0उ0नि0(मै0)चयन परिक्षा–2015 दिनांक– 09 अक्टूबर, 2015

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–1 की स्वीकृति के आधार पर जनपद हरिद्वार में रिक्त एवं वर्ष 2015 तक की सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुए 43 अभ्यर्थियों का लेखपाल प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। चयन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 10 नवम्बर 2015 को अपरान्ह 5.00 बजे तक निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार, भूलेख अनुभाग, कलेक्ट्रेट हरिद्वार, जनपद हरिद्वार में जमा होगे। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने व घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। उक्त तिथि दिनांक 10 नवम्बर 2015 अपरान्ह 5.00 के पश्चात प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उपनिरीक्षक (लेखपाल) पद के प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन अवश्य लिखा होना चाहिए।

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

2. **आयु सीमा**– नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित लेखपाल पद के प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु विज्ञप्ति प्रकाशित होने के वर्ष की पहली जुलाई अर्थात 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य की अनु0जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष की छूट तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

3. अभ्यर्थी केवल एक ही पद (लेखपाल/पटवारी) के लिए तथा एक ही जनपद में आवेदन कर सकेगा।

4. **शैक्षिक अर्हता**–नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आवश्यक है।

अधिमानी अर्हता– नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन होने पर अन्य बातों के समान होते हुए भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के द्वारा विहित प्रशिक्षण के लिए चयन में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या
(ख) नेशनल कैडेट कोड का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो,
(ग) कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

5. **सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण**– नियम–5 के उपनियम (क) के अनुसार सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थियों के संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होगा। पंजीयन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना भी आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

6. **आवेदन शुल्क**– आवेदन शुल्क सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए रूपये 300.00 (रूपये तीन सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रूपये 150.00 निर्धारित है, जो बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के रूप में जिलाधिकारी हरिद्वार के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

8. अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र ब्यवहार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।

9. आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाई स्कूल, इण्टरमिडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाए तथा निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान अग्रसारित, अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

10. **शारिरिक दक्षता**– पुरूष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 05 किलोमीटर की दौड़ सफलता पूर्वक पूरी करनी होगी जो कि लिखित परीक्षा से पूर्व आयोजित होगी तथा सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा के उपरान्त मेरिट पर आये अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित टंकण परीक्षा ली जायेगी जिसमें 4000 की–डिप्रेशन प्रतिघंटा टंकण की गति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

11. **चरित्र**– सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति अधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान करेगे।

(टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत ब्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष ब्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

12. **वैवाहिक प्रास्थिति–** पुरूष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा, परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसे करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी ब्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से मुक्त कर सकेगी।

13. **शारीरिक योग्यता–** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तब्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में ब्यवधान की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदन करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियम के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

14. **वेतनमान–** 5200–20200 ग्रेड पे–2800

15. **आरक्षण–** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा **महिलाओं** एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

रिक्तियों का विवरण

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	अनारक्षित
09	01	06	1	27

नोट– उपरोक्त अंकित रिक्तियों की संख्या को घटाया बढ़या जा सकता है।

चयन परीक्षा हेतु निम्नवत् पाठ्यक्रम निर्धारित है–

1. सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इण्टरनेट, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राजब्यवस्था, अर्थ–ब्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, लोक प्रशासन, उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखण्ड का आर्थिक राजनितिक व प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखण्ड के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय समसामयिकी घटनायें, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय कीड़ा एवं खेल–कूद से सम्बन्धित प्रश्न, उत्तराखण्ड राज्य का इतिहास, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातत्व से सम्बन्धित स्थल, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल एवं घटनाएं, लोक साहित्य, परम्परायें, रीति–रिवाज, वेशभूषा, मेले एवं त्योहरा, लोक गायन, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र आदि।........................... (100 प्रश्न)
2. सामान्य बुद्धिमता से सम्बन्धित एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न होगे, उसमें सादृश्यों, समानतओं तथा अन्तरो स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेला, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारण, श्रृंखला, अंकगणितीय गणना, सांख्यिकीय आलेखों एवं रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालना व उनका निर्वचन करना तथा अन्य विश्लेषण कार्य से सम्बन्धित प्रश्न आदि।....... (50 प्रश्न)
3. प्रदेश की प्रचलित भाषायें व बोलियों से सम्बन्धित शब्दावली, हिन्दी भाषा के मुहावरे, वर्तनी लोकोक्तियां, विलोम, अनेकार्थक, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि विग्रह, अलंकार, समास, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली।.......(50 प्रश्न)

नोट– उक्त वस्तुनिष्ठ 200 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु **3.00 घण्टे** का समय निर्धारित किया गया है।

संलग्न विज्ञप्ति जनपद के सम्बन्ध में जानकारी को भूलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट हरिद्वार एवं वेबसाइट http://haridwar.nic.in/ पर देखा जा सकता है।

(एच0सी0 सेमवाल)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तनुसार–</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित की राजस्व उपनिरीक्षक प्रशिक्षणार्थी चयन परीक्षा 2015 के विज्ञप्ति का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचना पटट् पर कराने का कष्ट करें

1. मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार।
2. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, हरिद्वार, रूड़की, लक्सर, भगवानपुर।
3. जिला सेवायोजन अधिकारी हरिद्वार।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी हरिद्वारं
6. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट हरिद्वार।
7. सम्पादक दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित की अपने समाचान पत्र के नवीनतम अंक के न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों का विज्ञप्ति का प्रकाशन करने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

आवेदन पत्र

विज्ञप्ति संख्या— आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि—10 नवम्बर, 2015

1. आवेदित पद का नाम—
(उम्मीदवार स्वयं लिखे)

2. आवेदक का नाम — हिन्दी में —
अंग्रजी में —

पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, जो रजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

3. पिता का नाम —
4. निवास स्थान —
5. (क) जन्म तिथि— अक्षरों में.............................. शब्दों में.................................
(ख) दिनांक 01 जुलाई, 2015 को आयु............वर्ष..............माह...........दिन.............
6. मूल एवं स्थाई निवास—ग्राम.............पोस्ट.........पटवारी क्षेत्र...........तहसील...............
7. पत्र व्यवहार का पता—
(पिन कोड सहित)
8. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन संख्या..............दिनांक............कार्यालय का नाम
9. शैक्षिक योग्यता—

क0सं0	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णाक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. हाईस्कूल						
2. इण्टरमीडिएट						
3. स्नातक						
4. अन्य						

10. अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अर्हता धारित करता है ? — हाँ/नहीं
11. अन्य विवरण/अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. अभ्यर्थी की श्रेणी— आरक्षित/ अनारिक्षत
13. जाति— अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग/अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. हॉरिजन्टेल आरक्षण—
महिला/भूतपर्व सैनिक/विकलांग व्यक्ति और स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित।
15. यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी का इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि चयनोपरान्त अवमुक्त करने में कोई कठिनाई एवं विधिक आपत्ति नहीं होगी।

अग्रसारित हस्ताक्षर सक्षम प्राधिकारी (कार्यालय की मुहर)

16. आवेदन शुल्क.................बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टल ऑर्डर संख्या.................दिनांक.................
धनराशि................
17. राष्ट्रीय खेलों में दक्षता प्राप्त—
(क) राष्ट्रीय स्तर (ख) राज्य स्तर (ग) जिला स्तर
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
18. अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

6

घोषणा

उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाए मेरी जनाकरी एवं विश्वास से सही एवं सत्य है। कोई प्रविष्टि अस्पष्ट अपूर्ण भ्रमाक एवं त्रुटिपूर्ण होने अथवा असत्य पाये जाने की दशा में मुझे चयन प्रकिया से वंचित किया जायेगा, इस सम्बन्ध में मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नही होगा तथा आवेदक का अभ्यर्थन त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण निरस्त किया जायेगा एवं सक्षम न्यायालय द्वारा भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

प्रवेश पत्र

अनुकमांक....................

श्री ....पुत्र श्री...निवासी
ग्राम.....................पटवारी वृत............................तहसील.................जिला..........................
......उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर, 2015 को पूर्वाहन् 10:00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र ....में पटवारी अथवा लेखपाल के रिक्त पदों के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की एत्दद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी

पटवारी तथा लेखपाल प्रशिक्षण चयन हेतु अभ्यर्थियो के लिए निर्देशः–

1. आवेदन पत्र के साथ रू0 5.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।
2. चयन परीक्षा की प्रकिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
3. अभ्यर्थी का चयन होने पर पटवारी प्रशिक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोडा में एक वर्ष का प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होगा।
4. आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराहन् 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आवेदित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा।
5. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा किये जायं, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश पत्र एवं दो पैन के अतिरक्त किसी भी प्रकार की पेंसिल, पाठ्यसामग्री मुद्रित या कागज की प्रतियां, पेजर, मोबाईल, कैलकुलेटर, टैबलेट एवं अन्य आधुनिकतम इलैक्ट्रोनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की साामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नही होगी।

4

7. एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
8. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट, भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नही है, समयान्तर्गत प्राप्त होने के बावजूद भी सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त हाने वाले आवेदन पत्रों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय जिम्मेदार नही होगा तथा अन्तिम तिथि को निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात जांच में अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक प्रविष्टियां प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जायेंगे।
10. उक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हाईस्कूल तथा अन्य समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आवेदक द्वारा जन्मतिथि की पुष्टि हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेंगा।
11. अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा भवन में दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।
12. राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) तथा(लेखपाल) के प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा दो चरणों मे शरीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा के रूप में आहुत की जायेगी।
13. उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति की लिखित परीक्षा होगी, जिससे ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी। उम्मीदवार द्वारा दिये गये प्रत्येक गलत उत्तर के लिए या उम्मीदवार द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, (चाहे दिये गये उत्तर में सें एक सही ही क्यों न हो) उस प्रश्न के लिए दिये जाने वाले अंको का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर एक वृत को ही पूरी तरह नीले/काले बॉल पैन से भरें। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे परिवर्तित नही किया जा सकेगा।
14. परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर पत्रक को मोडा नही जायेगा और उस पर कोई अन्य निशान लगाये नही जायेंगे। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा केन्द्र का नाम एवं अन्य प्रविष्टियां उत्तर पत्रक मे निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
15. परीक्षा प्रश्न पुस्तिका (बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक की संख्या में भिन्नता की स्थिति को छोडकर)दूसरी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नही करायी जायेगी।

जिलाधिकारी
हरिद्वार।